झारखण्ड विधान सभा

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के गठन एवं इससे सम्बन्धित तथा अनुषांगिक मामलों के उपबन्ध हेतु एक विधेयक;

क्योंकि, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का गठन और उससे सम्बन्धित तथा अनुषंगिक मामलों का उपबन्ध आवश्यक हो गया है,

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम ''अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2018'' कहा जा सकेगा।

(2) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सिर्फ झारखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो,

(क) ''आयोग'' से तात्पर्य है, धारा-3 के अधीन गठित ''अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग''

(ख) ''सदस्य'' से तात्पर्य है आयोग का सदस्य और इसमें सम्मिलित है आयोग का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

(ग) ''अनुसूचित जाति'' का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-366 की उपधारा (24) में विहित है।

अध्याय-II

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग

3. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन,-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौपें गये कृत्यों के निष्पादन हेतु यथाशीध्र एक निकाय गठित करेगी, जो अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय राँची होगा।

(2) आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-

(क) अध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों में से ही विशिष्ट ज्ञान रखने वाले को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

(ख) उपाध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

(ग) 3(तीन), वैसे व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान हो, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि एवं सेवा की शर्तें -

(1) राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक अपने पद पर बने रहेगें, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय स्वलिखित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यभार से हटा सकती है, यदि वह व्यक्ति,

(क) उन्मोचित दिवालिया हो गया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित दोषी करार दिया और कारावास की सजा सुनाई गई हो, या

(ग) जो विक्षिप्त हो जाता हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका हो, या

(घ) जो कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, या

(ड.) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या

(च) जिसने राज्य की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा का उस रूप में दुरूपयोग किया हो कि उसका कार्यालय में बना रहना अनुसूचित जातियों के हित के लिए घातक हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि, भत्ते एवं सेवा की अन्य बन्धेज एवं शर्तें वही होंगी, जो विहित की जाय।

5. आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी:-

(1) सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो, आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार आयोग के लिए उतने पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो आयोग के सम्यक् क्रिया कलाप के लिए आवश्यक हो,

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि एवं भत्ते और आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, का भुगतान धारा-11 में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।

6. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना- आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में सदस्य का कोई पद रिक्त है या आयोग का गठन त्रुटिपूर्ण है।

7. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया- (1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार सामान्यतया राँची में होगी या वैसे स्थान पर होगी जो अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग को यह शक्ति होगी कि अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करे।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव या सदस्य सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

अध्याय-III

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ

8. आयोग का कृत्य:-

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगे -

(क) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा उपबन्धित सरकार के किसी आदेश द्वारा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं संरक्षण के कार्यकलापों का अनुसंधान एवं परीक्षण, और,

(ख) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों के अधिकार एवं संरक्षण की वंचना से सबंधित शिकायतों की जाँच तथा मामलों को समुचित प्राधिकारी तक पहुँचाना,

(ग) झारखण्ड में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये योजनाओं के कार्यान्वयन में सलाह देना और राज्य में उनके विकास की गति का मूल्यांकन,

(घ) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में, जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किया जा सके,

(ड.) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रगति के संबंध में वैसे सभी कार्यों का सम्पादन, जो विहित हो,

परन्तु यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई विषय भारत का संविधान की धारा-338 के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित हो रहा हो, अनुसूचित जाति राज्य आयोग का उस मामले में क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा।

(च) राज्य सरकार आयोग को वैसा निर्देश दे सकती है जो राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित समझता हो और आयोग वैसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी।

9. प्रतिवेदन का पुरस्थापन- राज्य सरकार धारा-8 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत उन प्रतिवेदनों के संबंध में राज्य विधानसभा में की गई कार्रवाई या कार्रवाई के प्रस्ताव और अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, यदि कोई हो तो कारणों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।

10. आयोग की शक्तियाँ- आयोग को धारा-8 के अन्तर्गत किसी मामले के जाँच के दौरान वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की धारा 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसकी जाँच करना,

(ख) किसी अभिलेख की खोज और उसके प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(ड.) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

परन्तु उपधारा (क) के अधीन उस व्यक्ति को जो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव या विभागाध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के मामलों में नियोजित हो, को सम्मन नहीं किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। परन्तु उसके द्वारा सम्मन का अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बदले उपधारा (क) के अधीन उपसचिव स्तर से अन्यून या जैसा भी हो उसके समतुल्य का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होना कारित करे।

परन्तु यह भी कि, उपधारा (क) के अधीन जारी सम्मन में जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाय उसमें सम्मन के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो और जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के सिवा, किसी व्यक्ति को किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिये सम्मन किया जाय तब यदि वह व्यक्ति सशरीर उपस्थित होने के बदले यदि वैसा अभिलेख प्रस्तुत कराता है तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सम्मन अनुपालित समझा जायेगा।

अध्याय-IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान-

(1) इस मामले में राज्य विधान सभा द्वारा अपेक्षित विनियोग के बाद आयोग को राज्य सरकार अनुदान के रूप में वैसी राशि का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार उचित समझे और इस अधिनियम के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके।

(2) आयोग अनुदान की राशि में से उतनी राशि खर्च कर सकेगा जो इस अधिनियम के कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझा जाय और ऐसी राशि उपधारा (1) के अधीन अनुदान में से खर्च के रूप में भुगतेय होगा।

12. लेखा एवं अंकेक्षण-

(1) आयोग आय एवं व्यय का लेखा उस नियम के तहत रखेगा जो इस निमित्त विहित किया जाय।

(2) आयोग उस रूप में लेखे का वार्षिक वितरण तैयार करेगा जो विहित किया जाय।

(3) आयोग के लेखा को उस अंकेक्षक द्वारा वार्षिक रूप से अंकेक्षित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे।

(4) अंकेक्षक, अंकेक्षण के उद्देश्य से आयोग के सभी लेखा एवं अन्य अभिलेख की मांग कर सकता है।

(5) आयोग अंकेक्षण के लिए उतनी शुल्क की अदायगी अनुदान की राशि से करेगा जो विहित किया जाय।

(6) आयोग अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरन्त बाद लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ राज्य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वार्षिक विवरण में उस रूप में प्रकाशित करेगा जो विहित किया जाय।

(7) राज्य सरकार ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विधान सभा में पुरःस्थापित करेगा।

(8) राज्य सरकार अंकेक्षक के प्रतिवदेन के अवलोकन के पश्चात् वैसा निदेश आयोग को देगा जो उचित समझे और आयोग वैसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय-V

विविध

13. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक माने जायेंगे- भारतीय दंड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम, 1860 का 45) की धारा 21 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

14. नियमावली बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबध में उपबंध कर सकेगी, यथा,-

(क) धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य बंधेज एवं शर्तें।

(ख) धारा-12 की उपधारा (2) के अंतर्गत लेखे का वार्षिक विवरण तैयार करने हेतु प्रपत्र। (ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके बाद वाले सत्र में विधान-सभा, नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद यह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति:- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो वर्षों के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायगा।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि या नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या जारी किए गए अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हो, प्रभावी बने रहेगें तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

17. निरसन या व्यवृत्ति:-

(1) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी अनुदेश/संकल्प/परिपत्र आदि जो इस अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक निरसित समझे जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किसी आदेश, संकल्प, परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस अधिनिमय के अधीन किया गया, की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के अधीन वे लागू थे।

यह विधेयक अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018 दिनांक 19 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 19 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37--50--3-8-2018